भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और शिव वर्मा

डॉ. फ़ैज़ान अहमद
प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान विभाग) एवं कार्यवाहक प्राचार्य
जी0बी0पन्त (पी.जी.) कॉलेज,
कछला, बदायूँ (उ0प्र0)
ईमेलः gbpantdegreecollege@gmail.com

15

सारांश

शिव वर्मा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक महान् क्रान्तिकारी और 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सक्रिय सदस्य थे। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही वह असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए और भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने तक वह अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण नीतियों और शासन का प्रतिरोध करते रहे। शिव वर्मा के माध्यम से ही आज हम भगत सिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा, जतीन्द्र नाथ दास और महावीर सिंह आदि की जीवनियों से परिचित हुए हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ई0 को केन्द्रीय असेम्बली में जो बम फेंके थे, वे शिव वर्मा के बनाए हुए ही थे। वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी अन्याय से घबराकर कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कालेपानी की कठोर सज़ा भी उन्हें उनके लक्ष्य से डिगा नहीं सकी। जीवन के अन्त समय तक वे अपने साथी भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए कार्य करते रहे। वे त्याग, संघर्ष और विचारधारा के अधिकारिक क्रान्तिकारी थे।

मुख्य शब्द

क्रान्तिकारी जीवन, वाइसराय की हत्या का प्रयास, गिरफ़्तारी, लाहौर षड्यन्त्र केस, कालेपानी की सज़ा, जेल से रिहाई, साहित्यिक रुचि।

प्रस्तावना

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रान्तिकारियों को फाँसी से कम काला पानी की सज़ा दी जाती थी। वह सज़ा अमानवीय और घुट–घुट कर मरने के समान होती थी। ऐसे सज़ायाफ़्ता क़ैदी को पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान द्वीप) के सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। यह भारतीय तट से हज़ार से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर, दुर्गम समुद्री मार्ग पर था। ऐसे 585 कालापानी के क़ैदियों में से जीवित लौटे अन्तिम जिगीषु योद्धा शिव वर्मा थे।

शिव वर्मा का जन्म 9 फ़रवरी 1904 ई० को हरदोई ज़िले के कलौली गाँव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कलौली उनकी ननिहाल थी। बाद में वे अपने पुश्तैनी गाँव गौसगंज में पले और बड़े हुए। उनके पिता का नाम कन्हैया लाल वर्मा और माता का नाम कुन्ती देवी था। बालक शिव वर्मा के दिल और दिमाग पर अपने पिता की बजाय चाचा का बहुत असर पड़ा। उनके चाचा बलदेव प्रसाद वर्मा अच्छी शिक्षा प्राप्त साहित्य सेवी और कवि थे। उनका देश के प्रति उत्कट लगाव था और वे बालक शिव वर्मा को जंगे आज़ादी का एक बहादुर सिपाही बनाना चाहते थे। शिव वर्मा की शुरुआती शिक्षा हरदोई ज़िले में ही एक सरकारी स्कूल में हुई। 1920 ई० में जब शिव वर्मा केवल 16 वर्ष के ही थे, तभी उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता का देहान्त हो जाने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उनकी शिक्षा बाधित हो गई।

यूँ तो शिव वर्मा का राजनीतिक जीवन में प्रवेश 1921 ई० में असहयोग आन्दोलन से हुआ, जब वह मात्र 17 वर्ष के थे। लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना का विकास 1917 ई० से ही होने लगा था, जिसका श्रेय उन्होंने कानपुर से निकलने वाले अख़बार 'प्रताप' को दिया। उनके गाँव में उस समय केवल यही एक अख़बार आता था जिसमें रूसी क्रान्ति, देश–विदेश की घटनाओं और उस समय की स्थिति में नौजवानों को क्या करना चाहिए आदि विषयों पर लेख छपते थे।

जब महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया तब शिव वर्मा के बड़े भाई शिव नारायण वर्मा, जो कांग्रेस के सदस्य भी थे, स्कूल छोड़कर इस आन्दोलन में शामिल हो गए। शीघ्र ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बड़े भाई की गिरफ़्तारी के बाद शिव वर्मा ने कांग्रेस में उनकी ज़िम्मेदारी संभाल ली। लोगों ने दोनों भाइयों को सलाह दी कि वे स्वतन्त्रता संग्राम के मार्ग से हटकर परिवार की चिन्ता करें, किन्तु वे दोनों कब मानने वाले थे। वे अपने मार्ग पर डटे रहे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ बुलन्द करते रहे।

महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन को वापस लिए जाने से शिव वर्मा को बहुत धक्का लगा, लेकिन वह कांग्रेस में काम करते रहे। असहयोग आन्दोलन के कुछ समय बाद ही हरदोई और आस–पास के ज़िलों में किसान नेता मदारी पासी के नेतृत्व में 'एका आन्दोलन' की शुरुआत हुई। शिव वर्मा इस आन्दोलन से जुड़ गए। इस आन्दोलन में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हुए। आगे

चलकर यह आन्दोलन काफ़ी तेज़ हो गया जिसके कारण अंग्रेज़ी सरकार ने इसके ऊपर भीषण दमन चक्र चलाया। किसानों पर तरह–तरह के मुक़द्में लाद दिए गए। हालात ये हो गए थे कि किसानों को न तो कोई वकील मिल रहा था और न ही कोई अख़बार उनकी ख़बर छापने को तैयार था।

एका आन्दोलनकारियों के लिए मदद मांगने शिव वर्मा 1923 ई० के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। वहाँ उनकी मुलाक़ात मदन मोहन मालवीय और स्वामी सत्यव्रत से हुई। शिव वर्मा ने उनको एका किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। ऐसे में उनको 'प्रताप' और उसके सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी की याद आई। शिव वर्मा ने कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी को 'एका आन्दोलन' की पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनने के बाद विद्यार्थी जी ने 'एका आन्दोलन' की कहानी को अपने अख़बार 'प्रताप' में छापने का निर्णय लिया।

क्रान्तिकारी जीवन– 1925 ई० में हाई स्कूल उत्तीर्ण करके शिव वर्मा एक बार फिर कानपुर पहुँचे और डी0ए0वी0 कॉलेज में इण्टरमीडिएट प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। कानपुर उस समय क्रान्तिकारी आन्दोलन का गढ़ था। कॉलेज में ही उनकी मुलाक़ात सुरेन्द्र पाण्डेय और गोविन्द चरण मिश्रा से हुई। 1925 ई० में 'काकोरी काण्ड' के बाद उनकी मुलाक़ात विजय कुमार सिन्हा आदि नौजवानों से हुई। फिर उन्होंने 1926 ई० में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' की विधिवत सदस्यता ली। विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से ही शिव वर्मा की मुलाक़ात राधा मोहन गोकुल से हुई। राधा मोहन गोकुल हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार और साम्यवादी विचारक थे। शिव वर्मा, भगत सिंह आदि क्रान्तिकारियों पर उनका काफी प्रभाव पड़ा था।

'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' में शामिल होने के बाद शिव वर्मा की मुलाक़ात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा और चन्द्रशेखर आज़ाद आदि क्रान्तिकारियों से हुई। इसी दौरान वे 'काकोरी काण्ड' के अभियुक्त राम प्रसाद 'बिस्मिल' से भी जेल में मिले। वहीं पर 'बिस्मिल' ने उनको अपनी आत्मकथा सौंपी थी और साथ ही साथ संगठन के हथियारों, धन और ठिकाने के बारे में बताया था। 'काकोरी काण्ड' के अभियुक्तों को फाँसी, आजीवन कारावास और जेल की लम्बी सज़ा के बाद क्रान्तिकारी दल का पुनर्गठन हुआ, जिसमें शिव वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

8–9 सितम्बर 1928 ई० को दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला के खण्डहरों में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, भगवती चरण बोहरा, जतीन्द्र नाथ दास, विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े क्रान्तिकारियों के साथ शिव वर्मा भी उपस्थित थे। भगत सिंह इस सम्मेलन के मन्त्री थे। चन्द्रशेखर आज़ाद इस सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। लेकिन भगत सिंह और शिव वर्मा उनसे पहले ही मिल चुके थे। उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि इस सम्मेलन में बहुमत से जो भी निर्णय होगा, वह उन्हें मान्य होगा। इस सम्मेलन में क्रान्ति के पश्चात् देश के समाजवादी सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया। भगत सिंह के परामर्श पर 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का नाम बदल कर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रख दिया गया। इसी के अधीन एक नए सेल की स्थापना हुई जिसका नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रखा गया। चन्द्रशेखर आज़ाद इसके 'कमांडर–इन–चीफ़' चुने गए। शिव वर्मा को भी इस संगठन में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी गई। उन्हें केन्द्रीय समिति का सदस्य तथा संयुक्त प्रान्त (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) का संगठनकर्ता नियुक्त किया गया।

शिव वर्मा एक कुशल संगठनकर्ता साबित हुए। उन्होंने संयुक्त प्रान्त के कई ज़िलों में दल का केन्द्र स्थापित किया और नए सदस्यों की भर्ती की। 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की शिक्षा देने का फ़ैसला किया। इसके अतिरिक्त पैसा इकट्ठा करने तथा देश में सशस्त्र क्रान्ति लाने के लिए बैंक, डाकख़ाने और सरकारी ख़ज़ानों पर धावा बोलने का भी निश्चय किया गया। शिव वर्मा को आगरा जाकर बम बनाना सीखने का निर्देश दिया गया। थोड़े ही समय में वीर शिव वर्मा इस कार्य में पूर्णतः निपुण हो गए। शिव वर्मा के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए **डॉ० विद्या प्रकाश** ने लिखा है कि **"भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ई० को केन्द्रीय असेम्बली में जो बम फेंके थे, वे विप्लवी शिव वर्मा के बनाए हुए ही थे। वह दुर्दम्य क्रान्तिवीर जब केवल पन्द्रह साल का ही था, तभी से उसने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जेहाद करने में अपना पूरा ज़ोर और पूरी आयु लगा दी थी।"**[1] बम फेंके जाने से पहले संगठन ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फ़ोटो खिंचवाने का निश्चय किया। यह फ़ोटो कश्मीरी गेट के एक सरकारी फ़ोटोग्राफ़र ने खींची थी। उनकी फ़ोटो के निगेटिव शिव वर्मा ने ही फ़ोटोग्राफ़र के पास से लिए थे।

वाइसराय की हत्या का प्रयास– असेम्बली बम काण्ड के बाद शिव वर्मा और उनके साथी जयदेव कपूर और राजगुरु को पता चला कि वाइसराय लॉर्ड इर्विन दिल्ली में एक रात्रिभोज पार्टी में सम्मिलत होने आ रहे हैं। तीनों क्रान्तिकारियों ने वाइसराय को जान से मारने की योजना बनाई और बम तथा पिस्तौल लेकर निकल पड़े। बाद में उन्हें पता चला कि वाइसराय किसी अन्य स्थान पर चले गए थे और थोड़ी देर बाद दूसरे रास्ते से भोज स्थल पर पहुँचे, इसलिए यह योजना सफ़ल नहीं हो सकी। इसके बाद इन तीनों क्रान्तिकारी साथियों को पता चला कि वाइसराय शिकार खेलने देहरादून जा रहे हैं। तीनों साथी चन्द्रशेखर आज़ाद को साथ लेकर वाइसराय को जान से मारने की नीयत से देहरादून निकल गए, लेकिन पुलिस को इस योजना की भनक लग गई। अतः क्रान्तिकारियों को अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी।

गिरफ़्तारी– असेम्बली बम काण्ड के बाद शिव वर्मा और अन्य क्रान्तिकारी भूमिगत हो गए। दल का मुख्यालय आगरा से सहारनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। शिव वर्मा, डॉ० गया प्रसाद और जयदेव कपूर को सहारनपुर में बम बनाने का एक कारख़ाना

स्थापित करने का काम दिया गया था। योजना यह थी कि डॉ० गया प्रसाद एक औषधालय शुरू करने के लिए एक जगह किराए पर लेंगे। शिव वर्मा और जयदेव कपूर उनके कम्पाउंडर और ड्रेसर होंगे। सहारनपुर में एक किराए के दो मंज़िला मकान में योजना के अनुसार औषधालय खोला गया। तीनों क्रान्तिकारी नीचे औषधालय चलाते थे, जबकि ऊपरी मंजिल पर बम बनाया जाता था। शीघ्र ही स्थानीय लोगों और पुलिस को शक हो गया। फलतः 13 मई 1929 ई० को शिव वर्मा अपने साथियों जयदेव कपूर और डॉ० गया प्रसाद के साथ सहारनपुर में गिरफ़्तार कर लिए गए। 10 जुलाई 1929 ई० तक उन्हें हवालात में रखकर घोर यातनाएं दी गईं और फिर उन्हें लाहौर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान लाहौर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा, जहाँ से सुखदेव और अन्य क्रान्तिकारियों को गिरफ़्तार किया गया। असेम्बली बम काण्ड की जाँच के दौरान अंग्रेज़ी पुलिस ने इन क्रान्तिकारियों के तार सांडर्स वध से जोड़ दिये। इसके बाद इन सभी क्रान्तिकारियों पर 'लाहौर षड्यन्त्र केस' चलाया गया।

लाहौर षड्यन्त्र केस– शिव वर्मा पर भी 'लाहौर षड्यन्त्र केस' चला। क्रान्तिकारियों को हथकड़ी लगाने, उनकी डंडों, जूतों से पिटाई करने, उन्हें अपमानित करने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण शिव वर्मा भी क्रान्तिकारियों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल में शामिल हुए। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल चली तब शिव वर्मा की हालत चिन्ताजनक हो गई। उन्हें जेल अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तेज़ बुख़ार और निमोनिया है। वे बिस्तर पर पड़े तड़पते रहे और सीने के दर्द से कराहते रहे। शिव वर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संगठन के प्रति वफ़ादारी की प्रशंसा करते हुए **डॉ० विद्या प्रकाश** ने लिखा है कि **''डॉक्टरों ने उनसे दवाई लेने का आग्रह किया, पर उन्होंने यह कहकर दवाई लेने से इन्कार कर दिया कि जब दल का फ़ैसला दवाई न लेने का है तो मैं भी दवाई क्यों लूँ?''**[2] वह उन दिनों कैसे जीवित रहे, यह आश्चर्य का विषय है।

'लाहौर षड्यन्त्र केस' को भगत सिंह और उनके क्रान्तिकारी साथी अपने विचारों को फैलाने का एक साधन मानते थे। उन्हें अंग्रेज़ों से न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई सफ़ाई पेश नहीं की। अदालत की कार्यवाही लगभग तीन महीने चली। 7 अक्टूबर 1930 ई० को न्याय का नाटक समाप्त हुआ। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फाँसी की सज़ा दी गई। शिव वर्मा और उनके छह साथियों को आजन्म काले पानी की तथा शेष क्रान्तिकारियों को भी लम्बी–लम्बी सज़ाएं दी गईं। **डॉ० फ़ैज़ान अहमद** ने लिखा है कि **''1929 से 1946 ई० तक यह दृढ़ निश्चयी सूरमा जेल की काल–कोठरी में बन्द रहा और हर प्रकार की अमानुषिक यातनाएं बरदाश्त करता रहा। काले पानी की कठोर सज़ा भी इस महान् देशभक्त के साहस को तोड़ न सकी।**[3] किन्तु किसी भी अन्याय से घबराकर वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए।

सरदार भगत सिंह से अन्तिम मुलाक़ात– शिव वर्मा अपने क्रान्तिकारी साथियों के बीच शिवदा, शिव तथा प्रभात आदि नाम से जाने जाते थे। लाहौर केन्द्रीय क़ारागार में अन्तिम मुलाक़ात के समय भगत सिंह ने शिव वर्मा से बड़े आत्मीयतापूर्ण शब्दों में कहा था कि **''भावुक बनने का समय अभी नहीं आया है प्रभात। मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को लम्बा सफ़र पार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि उत्तरदायित्व के भारी बोझ के बावजूद उस लम्बे अभियान में तुम थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे और हार मानकर रास्ते में बैठ नहीं जाओगे।''**[4] इन्हीं शब्दों की प्रेरणा और वचन को निभाने में शिव वर्मा कर्मनिष्ठ तपस्वी का जीवन जीते रहे, जेल में भूख हड़तालें कीं और पाशविक अत्याचार सहे।

सेलुलर जेल में– आजन्म कालेपानी की सज़ा के उपरान्त शिव वर्मा और उनके साथियों को अण्डमान के सेलुलर जेल ले जाया गया। वहाँ क़ैदियों पर घोर अत्याचार होते थे। क़ैदियों की अमानवीय दशा पर प्रकाश डालते हुए **हर्षवर्धन शोधार्थी** ने लिखा है कि **''सेलुलर जेल में क़ैदियों पर भीषण अत्याचार होते थे। उनको कोल्हू में जोतकर तेल निकलवाया जाता था और बहुत ही घटिया खाना दिया जाता था। उनके रहने की कोठरियाँ बदबूदार थीं, जो बारिश में भर जाती थीं।''**[5] शिव वर्मा और उनके क्रान्तिकारी साथी जब सेलुलर जेल पहुँचे तो उन्होंने जेल अधिकारियों के क्रूर रवैये का विरोध किया और राजनीतिक क़ैदियों के अधिकारों के लिए पहले से चल रही भूख हड़ताल में शामिल हो गए।

शिव वर्मा और उनके क्रान्तिकारी साथियों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए पढ़ाई–लिखाई का जो सिलसिला 'लाहौर षड्यन्त्र केस' के दिनों के दौरान शुरू किया था, उसे अण्डमान में भी जारी रखते हुए आगे बढ़ाया। सेलुलर जेल में शिव वर्मा की अगुआई में 'साम्यवादी एकीकरण' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क़ैदियों में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। इसके माध्यम से सेलुलर जेल में बन्द कई क्रान्तिकारी वाम विचारों की तरफ़ आकर्षित हुए और आगे चलकर वाम आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जेल से रिहाई– कई भूख हड़तालों और कड़े संघर्षों के बाद आख़िरकार शिव वर्मा और उनके क्रान्तिकारी साथियों को अण्डमान की कालकोठरी से 1938 ई० में मुक्ति मिली। उनको अण्डमान जेल से कलकत्ता के दमदम जेल, फिर लाहौर जेल ले जाया गया और आख़िरकार लखनऊ के ज़िला जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। यहाँ भी शिव वर्मा ने मार्क्सवादी पढ़ाई–लिखाई का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने अध्ययन केन्द्र चलाए। 1942 ई० में शिव वर्मा को नैनी जेल भेज दिया गया जहाँ वह 1946 ई० तक रहे। 1946 ई० में उन्हें हरदोई जेल भेज दिया गया, जहाँ से वे 21 फ़रवरी 1946 ई० को बंदी जीवन से मुक्त हुए।

साहित्यिक रुचि– शिव वर्मा अपने कॉलेज के दिनों से ही पढ़ने–लिखने में रुचि रखते थे। क्रान्तिकारी जीवन के शुरुआत में ही वे दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका 'वैभव', हरदोई से निकलने वाली पत्रिका 'आर्यकुमार' और कानपुर से निकलने वाले पत्र 'प्रताप' में बतौर संवाददाता काम कर चुके थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'चाँद' के 'फाँसी अंक' में विभिन्न नामों से क्रान्तिकारियों पर अनेक लेख लिखे। उन्होंने 'शहीद भगत सिंह की संकलित रचनाएं' नामक ग्रन्थ की रचना की तथा 'मौत का इंतजार' में क़ैदियों के

संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी प्रकाशित किए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक मुख्य पत्र 'न्यू एज' के सम्पादकीय विभाग में भी रहे। उन्होंने 1953 ई० में एक प्रगतिशील हिन्दी पत्रिका 'नया पथ' का सम्पादन किया। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिन्दी मुख्य पत्र 'लोक लहर' का भी संपादन किया। 1963 ई० में लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'संस्मृतियाँ' में उन्होंने क्रान्तिकारी शहीदों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। इसका भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है।

शिव वर्मा की साहित्यिक रुचि और लेखन कार्य की प्रशंसा करते हुए **हर्षवर्धन शोधार्थी** ने लिखा है कि **''शिव वर्मा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह के लेखों और हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक संघ के दस्तावेजों को संग्रह कर लिपिबद्ध किया और देश को उनके विचारों से अवगत कराया। उनके माध्यम से ही आज हम भगत सिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भवगती चरण बोहरा, जतीन्द्र नाथ दास और महावीर सिंह आदि की जीवनियों से परिचित हुए हैं।''** [6] उन्होंने सरल और बोधगम्य भाषा में पाँच खण्डों में 'मार्क्सवाद परिचय माला' लिखी, जो इस दिशा में बढ़ने वालों की प्रारम्भिक पुस्तक के समान है। शिव वर्मा ने अपने पत्रों का समापन 'साथी शब्द से किया है, जैसे– भगत सिंह के साथी शिव वर्मा।

आज़ादी के बाद का जीवन तथा मृत्यु– जेल से रिहा होने के बाद शिव वर्मा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और मज़दूर संगठनों में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास के लिए कई पार्टी–स्कूलों का संचालन किया। 1948 ई० में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव चुने गए। आज़ाद भारत में भी उन्हें फ़रार का जीवन जीना पड़ा और कई जेल यात्राएं करनी पड़ीं। 1964 ई० में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तब शिव वर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए। अण्डमान जेल में बन्दी रहने के दिनों में हुए भीषण अत्याचारों का शिव वर्मा के स्वास्थ्य पर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा था। उनकी एक आँख की रोशनी जाती रही थी और स्वास्थ्य ख़राब रहने लगा था। 1981 ई० में उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया और अपना जीवन क्रान्तिकारी इतिहास के संयोजन में लगा दिया। उनके घर पर दुर्गा भाभी, डॉ० लक्ष्मी सहगल, डॉ० गया प्रसाद तथा बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद जैसे अनेक समकालीन क्रान्तिकारियों का आना–जाना लगा रहता था। शिव वर्मा ने अपनी सह–क्रान्तिकारी दुर्गा भाभी के सहयोग से लखनऊ में 'शहीद स्मारक' एवं 'स्वतन्त्रता संग्राम शोध केन्द्र' की स्थापना की और अपने क्रान्तिकारी साथियों के जीवन पर पड़ी धूल को हटाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने क्रान्तिकारियों के लेख, तस्वीर आदि एकत्र करने के लिए देश–विदेश की यात्राएं कीं। 10 जनवरी 1997 ई० को शिव वर्मा का निधन हो गया।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिव वर्मा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक महान् योद्धा थे। कई बार जेल से अदालत ले जाते समय अंग्रेज़ों ने इस बहादुर देशभक्त को इतना पीटा कि वे अदालत के प्रांगण में ही अचेत हो गए, किन्तु किसी भी अन्याय से घबराकर वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कालेपानी की कठोर सज़ा भी उनके सहास को तोड़ न सकी और न ही उन्हें उनके लक्ष्य से डिगा सकी। वे त्याग, संघर्ष और विचार धारा के अधिकारिक क्रान्तिकारी थे। उनके द्वारा किए गए कार्य निःसन्देह हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा भरने वाले हैं। जीवन के अन्त समय तक वे अपने साथी भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए कार्य करते रहे। ऐसे ही महान् वीर और देशप्रेमियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हमारे देशवासी सुख और चैन की साँस ले रहे हैं। हम समस्त भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे तथा उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे।

सन्दर्भः–

1. डॉ० विद्या प्रकाश – देश जिनका ऋणी है– पृ0 सं0–176 – आकाशदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली – संस्करण 2005 ई०।
2. वही, पृ0 सं0–177 ।
3. डॉ० फ़ैज़ान अहमद – भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन – पृ0 सं0–203 – राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – संस्करण 2017 ई०।
4. https://www.jagran.com – पृ0 सं0–02 – दिनाँक– 23/07/2024 से उद्धृत।
5. https://agnialok.com – पृ0 सं0–03 – दिनाँक– 26/07/2024 से उद्धृत।
6. वही, पृ0 सं0–01 ।